

**राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017  
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

लाभ के कतिपय पद उनके धारकों को, राज्य की विधान सभा के सदस्य होने या सदस्य के रूप में चुने जाने से निरर्हित नहीं करते, यह घोषणा करने के लिए विधेयक।

यतः राज्य में के लाभ के जो पद उनके धारकों को राज्य की विधान सभा के सदस्य होने या सदस्य के रूप में चुने जाने से निरर्हित नहीं करेंगे उनकी घोषणा करने वाली विधियों को समेकित और संशोधित करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. निर्वचन.-** (1) जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, "राज्य" से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37) की धारा 10 द्वारा निर्मित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(2) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, यथाशक्य इस अधिनियम पर लागू होंगे।

**3. राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हता का निराकरण और निवारण.-** इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पद, उनके धारकों को राज्य विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने या सदस्य होने से निरर्हित नहीं करेंगे और उन्हें कभी भी निरर्हित किया गया है, यह नहीं समझा जायेगा, अर्थात्:-

- (क) राज्य मंत्री या उप-मंत्री का पद;
- (ख) सरकारी मुख्य सचेतक का पद;
- (ग) सरकारी उप-मुख्य सचेतक का पद;
- (घ) संसदीय सचिव या अवर संसदीय सचिव का पद;
- (ङ) राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के नेता का पद;
- (च) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले में जांच करने या उसके संबंध में आंकड़े इकट्ठे करने के प्रयोजन के लिए अथवा सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी कार्यक्रम की योजना बनाने, उसके समन्वय या क्रियान्वयन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य का पद;
- (छ) राष्ट्रीय केडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 31) के अधीन समुत्थापित और संधारित राष्ट्रीय केडेट कोर में या प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 56) के अधीन समुत्थापित और संधारित प्रादेशिक सेना में या आरक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 62) के अधीन समुत्थापित सहायक वायु सेना या एयर डिफेन्स रिजर्व में के अधिकारियों द्वारा धारित पद;
- (ज) खण्ड (च) में यथानिर्दिष्ट किसी ऐसी समिति से भिन्न समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद;
- (झ) किसी कानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या किसी अधिकारी का पद, जहां किसी ऐसे पद पर किसी को नियुक्त करने की शक्ति या किसी व्यक्ति को वहां से हटाने की शक्ति सरकार में निहित हो;
- (ञ) किसी ऐसे बीमाकर्ता, जिसके नियन्त्रणाधीन कारबार का प्रबन्ध जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9) के

अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, के अधीन लाभ का पद;

- (ट) किसी सरकारी प्लीडर या विशेष सरकारी प्लीडर या सरकार की ओर के अधिवक्ता का पद जिनकी नियुक्ति विशेष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण, मध्यस्थ या अन्य प्राधिकरण के समक्ष राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध दायर किये गये किसी विशिष्ट वाद, मामले या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए की जाये;
- (ठ) किसी सरकारी प्लीडर, विशेष सरकारी प्लीडर या राज्य सरकार की ओर के अधिवक्ता का पद, जिनकी नियुक्ति विशेष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण, मध्यस्थ या अन्य प्राधिकरण के समक्ष राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध दायर किये गये किसी विशिष्ट वाद, मामले या अन्य कार्यवाही में महाधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता या प्लीडर या विशेष सरकारी प्लीडर या सरकार की ओर के अधिवक्ता को सहायता देने के लिए की जाये; और
- (ड) किसी पैनल-वकील का पद, यदि ऐसे पद का धारक किसी प्रतिधारण-शुल्क या वेतन का, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, हकदार नहीं है।

**स्पष्टीकरण.-** इस धारा में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (i) "समिति" से सरकार द्वारा गठित कोई समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह कानूनी निकाय हो या न हो, अभिप्रेत है;
- (ii) "प्रतिकरात्मक भत्ता" से ऐसी धनराशि अभिप्रेत है जिसका, समिति के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने या समिति के सदस्य के रूप में कोई अन्य कृत्य करने में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने में अध्यक्ष



### उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में, राज्य में के लाभ के उन पदों की, जो उनके धारकों को विधान सभा के सदस्य होने या सदस्य के रूप में चुने जाने से निरर्हित नहीं करेंगे, घोषणा करने वाली दो विधियां हैं, नामतः राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 7) और राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम सं. 5)। एक विधि में उसी विषय पर बहु विधियों को समेकित करने की राज्य सरकार की पहल के एक भाग के रूप में उपरोक्त दो अधिनियमों को एकल अधिनियम के रूप में समेकित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।  
अतः विधेयक प्रस्तुत है।

राजेन्द्र राठौड़,  
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

Bill No. 40 of 2017

**THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS  
(PREVENTION OF DISQUALIFICATION) BILL, 2017**  
(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

*Bill*

*to declare certain offices of profit not to disqualify their holders for being, or for being chosen as, members of the Legislative Assembly of the State.*

Whereas it is expedient to consolidate and amend the laws declaring the offices of profit in the State which shall not disqualify their holders for being, or for being chosen as, members of the Legislative Assembly of the State;

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members (Prevention of Disqualification) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

**2. Interpretation.-** (1) In this Act unless the subject or context otherwise requires, "State" means the State of Rajasthan as formed by section 10 of the States Reorganisation Act, 1956 (Central Act No. 37 of 1956).

(2) The provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) shall, as far as may be, apply *mutatis mutandis* to this Act.

**3. Removal and prevention of disqualification for membership of the State Legislative Assembly.-** It is hereby declared that the following offices shall not disqualify, and shall be deemed never to have disqualified, the holders thereof for being

chosen as, or for being, members of the State Legislative Assembly, namely:-

- (a) the office of a Minister of State or a Deputy Minister;
- (b) the office of the Government Chief Whip;
- (c) the office of the Deputy Government Chief Whip;
- (d) the office of a Parliamentary Secretary or a Parliamentary Under Secretary;
- (e) the office of the Leader of Opposition in the Rajasthan Legislative Assembly;
- (f) the office of a chairman or a vice-chairman or the member of a committee set up for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an enquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter or for planning, coordinating or implementing any programme of the Government or any other authority;
- (g) the office held by officers in the National Cadet Corps raised and maintained under the National Cadet Corps Act, 1948 (Central Act No. xxxI of 1948) or in the Territorial Army raised and maintained under the Territorial Army Act, 1948 (Central Act No. LVI of 1948) or in the Auxiliary Air Force or the Air Defence Reserve raised under the Reserve and Auxiliary Air Force Act, 1952 (Central Act No. LXII of 1952);
- (h) the office of a chairman or a member of the committee other than any such committee as is referred to in clause (f);
- (i) the office of a chairman, director, member or any officer of a statutory body, where the power to

make any appointment to any such office or the power to remove any person therefrom is vested in the Government;

- (j) the office of profit under an insurer, the management of whose controlled business has vested in the Central Government under the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (Central Act No. 9 of 1956);
- (k) the office of a Government Pleader, or Special Government Pleader, or Advocate for the Government, appointed specially to conduct any particular suit, case or other proceeding by or against the State Government before any court, tribunal, arbitrator or other authority;
- (l) the office of a Government Pleader, Special Government Pleader, or Advocate for the State Government, appointed specially to assist the Advocate General, Government Advocate or Pleader, Special Government Pleader, or Advocate for Government, in any particular suit, case or other proceeding by or against the State Government before any court, tribunal, arbitrator or other authority; and
- (m) the office of a panel lawyer if the holder of such office is not entitled to any retainer or salary, by whatever name called.

**Explanation.-** In this section, unless the subject or context otherwise requires,-

- (i) “committee” means any committee, commission, council, board or any other body of persons whether a statutory body or not, set up by Government;



- (ii) “compensatory allowance” means such sum of money as the Government may determine as being payable to the chairman or any other member of a committee by way of travelling allowance, daily allowance, conveyance allowance or house rent allowance for the purpose of enabling the chairman or other member to recoup any expenditure incurred by him in attending any meeting of a committee or performing any other function as a member of the committee;
- (iii) “daily allowance” means such daily allowance as shall not exceed the amount of daily allowance admissible to a Member of the State Legislative Assembly in accordance with the provisions of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956, as amended from time to time, and the rules made thereunder;
- (iv) “insurer” means an insurer as defined in clause (5) of section 2 of the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (Central Act No. 9 of 1956);
- (v) “statutory body” means any corporation, board, company, society or any other body of persons, whether incorporated or not, established, registered or formed by or under any law for the time being in force or exercising powers and functions under any such law.

**4. Repeal.-** The Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Act, 1956 (Act No. 7 of 1957) and the Rajasthan Legislative Assembly Members (Prevention of Disqualification) Act, 1969 (Act. No. 5 of 1969) are hereby repealed.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

At present there are two laws declaring the offices of profit in the State which shall not disqualify their holders for being, or for being chosen as, members of the Legislative Assembly viz. the Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Act, 1956 (Act No. 7 of 1957 ) and the Rajasthan Legislative Assembly Members (Prevention of Disqualification) Act, 1969 (Act No. 5 of 1969). As a part of the State Government's initiative to consolidate multiple laws on the same subject into one law, it is proposed to consolidate the above two Acts into a single Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

राजेन्द्र राठौड़,  
**Minister Incharge.**

2017 का विधेयक सं. 40

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

---

लाभ के कतिपय पद उनके धारकों को, राज्य की विधान सभा के सदस्य होने या सदस्य के रूप में चुने जाने से निरहित नहीं करते, यह घोषणा करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

---

पृथ्वी राज,  
सचिव।

(राजेन्द्र राठौड, प्रभारी मंत्री)

**THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS  
(PREVENTION OF DISQUALIFICATION) BILL, 2017**

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

---

A

*Bill*

*to declare certain offices of profit not to disqualify their holders for being, or for being chosen as, members of the Legislative Assembly of the State.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

Prithvi Raj,  
**Secretary.**

( Rajendra Rathore, **Minister-Incharge**)